



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-४, खण्ड (ख)
परिनियत आदेश

लखनऊ, मंगलवार, दिनांक २० फरवरी, २०२४
०१ फाल्गुन, शक सम्वत् १९४५

विधान परिषद् सचिवालय

उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

संख्या-५२६/वि०पी०-१५ सं०/२०१७
लखनऊ, दिनांक २० फरवरी, २०२४

अधिसूचना

विविध

पी०आ०-४५

चूंकि, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मकान संख्या-३५८ अ, खरौआं, तहसील-ऊंचाहार, जनपद-रायबरेली, उत्तर प्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से दिनांक ०७ जुलाई, २०२२ को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए थे;

और, चूंकि, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की सदस्यता से दिनांक २० फरवरी, २०२४ को त्याग-पत्र दे दिया है;

और, चूंकि, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-१९० के खण्ड (३) के उपखण्ड (ख) के अधीन माननीय सभापति, विधान परिषद् द्वारा श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की सदस्यता से त्याग-पत्र दिनांक २० फरवरी, २०२४ को स्वीकार कर लिया गया है;

अतः उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-२३३ के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का स्थान दिनांक २० फरवरी, २०२४ को अपराह्न से रिक्त हो गया है।

आज्ञा से,
डा० राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।